. छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 403 / 2006</u>

श्री भेष कुमार साहू,
अधिवक्ता,
नयापारा, बालोद
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
पुलिस अनुविभागीय अधिकारी,
बालोद, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 24 फरवरी 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री भेष कुमार साहू आत्मज श्री जीवन लाल साहू निवासी–नयापारा, बालोद जिला–दुर्ग द्वारा दिनांक 19–05–2006 को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु जानकारी नहीं मिलने पर उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10–07–2006 को प्रस्तुत की गई, जिस पर उन्हें दिनांक 07–09–2006 को अपील निर्णय प्राप्त हुआ, जिससे असंतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 26–09–2006 को अपील प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई भी की गई। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समयावधि में अपील का निराकरण नहीं किये जाने एवं आदेश का अवलोकन नहीं कराये जाने का जहां तक उल्लेख किया है के संबंध में प्रतिवेदन में कहा गया है कि पहले मुख्य आदेश की जानकारी दे दी गई थी और बाद में मांगे जाने पर दिनांक 07–09–2006 के पत्र द्वारा लिखित आदेश दिया गया, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश दिया जाकर उसकी लिखित सूचना समयावधि में दिया जाना आवश्यक है, जिसका भविष्य में ध्यान रखा जावे। जहां तक जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन का प्रश्न है आवेदन में गृहमंत्री को की गई शिकायत दिनांक 28–03–2006 के संबंध में क्या कार्यवाही की गई की जानकारी मांगी गई थी किन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा केवल थाना प्रभारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2006 दे दी गई, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में गृहमंत्री को दी गई शिकायत जब जांच हेतु प्राप्त हुई उसके बाद क्या कार्यवाही की गई थी उसके संबंध में जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक था और जहां तक असंगेय प्रकरण होने और अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है विधि अनुसार की गई कार्यवाही है। इस संबंध में आयोग को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, किन्तु यह अवश्य है कि जो जानकारी मांगी गई है, वह स्पष्ट रुप से

दिया जाना आवश्यक है। अतः अब निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन में जो जानकारी चाही गई है, उसके संबंध में स्पष्ट जानकारी अब 15 दिन में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जानकारी छिपाने में कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती, किन्तु केवल भ्रमवश समान तथ्य होने के कारण उनके द्वारा पूर्व का जांच प्रतिवेदन ही भेज दिया गया है, अतः शास्ति की कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी अपीलार्थी को इस संबंध में विलम्ब और त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण जो मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है उसके कारण विभाग द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत 250/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के अनुसार उक्त अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त